FRA

(For linear projects)
Government of Rajasthan
Office of the District Collector, Bundi

No.:- 8-5(1)16/Rev/ 6035 Dated:-20.04.2017

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, It is certified that 19.7432 hectare of forest land proposed to be diverted in favor of R.R.V.P.N.L. Kota for construction of 400. K.V. elec single circuit line extending from 765 KV G.S.S. ANTA to 400 KV G.S.S. power grid Kota in Village Jakhmund Tahsil Talera District Bundi in the State of Rajasthan.

It is further certified that

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 19.7432 hectares of forest Area proposed for diversion . A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s). Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed.

(c) the proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre agricultural communities.

Encl: as above

(Neresh Kumar Thakral)
District Colector and Disrtict Mazitrate
Bundi

(O.P. Sharma)
Executive Engineer
(T & C)
RVPN, KOTA

Scanned by CamScanner

कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी

क्रमांक : प.8–5( )राजस्व/2015/2582 दिनांक 13.02.2017

प्रेषिति,

विकास अधिकारी
पंचायत समिति,तालेड़ा

विषयः– वन अधिकार अधिनियम,2006(अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी) की पूर्ति के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र, 765 के.वी. जीएसएस अंता से 400 के0वी0जीएसएस पावरग्रिड हेतु उपलब्ध कराने के संबंध में।

विषयान्तर्गत अधीक्षण अभियंता,रा.रा.वि.प्र.नि.लि. कोटा द्वारा प्रस्तुत पत्र क्रमांकः 3616 दिनांक 31.1.2017 की छायाप्रति एतद् संलग्न प्रेषित कर लेख है कि 765 के0वी0 जीएसएस अंता से 400 के0वी0 जीएसएस पावरग्रिड कोटा तक जाने वाली 400 केवी0 एकल परिपथ विद्युत ट्रासमिशन लाईन निर्माण कार्य हेतु वनभूमि 18.1286 हैक्टर का इस कार्यालय द्वारा दिनांक 4.8.2016 से जारी किया गया था, उनके द्वारा वन विभाग के मौका निरीक्षण किये जाने पर लम्बाई व खसरा संख्या में परिवर्तन होना बताते हुये 18.1286 हैक्टर के स्थान पर 19.7432 हैक्टर पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी गाईड लाईन के तहत अनुसूचित जनजाति और परम्परागत निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम,2006 एवं 2008 तथा संशोधित नियम 2013 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का निवेदन किया है।

अतः इस संबंध में ग्राम पंचायत स्तरीय वनाधिकार समिति में कथित वन भूमि के संबंध में लम्बित दावों बाबत संबंधित ग्राम पंचायत समिति की बैठक आयोजित कर बैठक कार्यवाही विवरण सहित सूचना/रिपोर्ट अन्दर 7 दिवस में इस कार्यालय को भिजवावें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

जिला कलक्टर,बून्दी

(O.P. Sharma)
Executive Engineer
(T & C)
RVPN, KOTA

Scanned by CamScanner

कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी

क्रमांक : प.8–5( )राजस्व/2017/ 2583-84 दिनांक 13.02.2017

प्रेषिति,

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
   जिला परिषद,बून्दी
2. उपखण्ड अधिकारी,
   तालेडा

विषयः– वन अधिकार अधिनियम,2006(अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी) की पूर्ति के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र, 765 के.वी. जीएसएस अंता से 400 के0वी0जीएसएस पावरग्रिड हेतु उपलब्ध कराने के संबंध में।

विषयान्तर्गत अधीक्षण अभियंता,रा.रा.वि.प्र.नि.लि. कोटा द्वारा प्रस्तुत पत्र क्रमांकः 3616 दिनांक 31.1.2017 की छायाप्रति एतद् संलग्न प्रेषित कर लेख है कि 765 के0वी0 जीएसएस अंता से 400 के0वी0 जीएसएस पावरग्रिड कोटा तक जाने वाली 400 केवी0 एकल परिपथ विद्युत ट्रांसमिशन लाईन निर्माण कार्य हेतु वनभूमि 18.1286 हैक्टर का इस कार्यालय द्वारा दिनांक 4.8.2016 से जारी किया गया था, उनके द्वारा वन विभाग के मौका निरीक्षण किये जाने पर लम्बाई व खसरा संख्या में परिवर्तन होना बताते हुये 18.1286 हैक्टर के स्थान पर 19.7432 हैक्टर पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी गाईड लाईन के तहत अनुसूचित जनजाति और परम्परागत निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम,2006 एवं 2008 तथा संशोधित नियम 2013 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का निवेदन किया है।

अतः 765 के0वी0 जीएसएस अंता से 400 के0वी0 जीएसएस पावरग्रिड कोटा तक जाने वाली 400 केवी0 एकल परिपथ विद्युत ट्रांसमिशन लाईन निर्माण कार्य हेतु आ रही ग्राम जाखसूण्ड की 19.7432 हैक्टर भूमि प्रत्यावर्तन के संबंध में आप जिला स्तरीय वनाधिकार समिति एवं उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति में वन भूमि के संबंध में नियमानुसार समिति की बैठक आयोजित कर लम्बित दावो बाबत समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण इस कार्यालय को भिजवावें।

–sd–

संलग्न:–उपरोक्तानुसार

जिला कलक्टर,बून्दी

क्रमांक : प.8–5( )राजस्व/2017/ 2585 दिनांक 13.02.2017

प्रतिलिपि विकास अधिकारी, पंचायत समिति तालेडा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

जिला कलक्टर,बून्दी

(O.P. Sharma)
Executive Engineer
(T & C)
RVPN, KOTA

15/2/17

Scanned by CamScanner

विजय स्टेशनरी मार्ट आर्य समाज रोड, कोटा मोबा. 9351676681

52

G.P. 11 पत्र संख्या

बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर

ग्राम पंचायत .... जाखमुण्ड .... पंचायत समिति .... तालेड़ा .... जिला .... बून्दी .... वर्ष 2016–17

बैठक होने की तारीख	बैठक का स्थान	पंच/सरपंच का नाम	उपस्थित सदस्यों का नाम	बैठक की कार्यवाही का विवरण	बैठक में उपस्थित सदस्यों के ह०
1	2	3	4	5	6
				आज दिनांक 15/02/2017 को अटल सेवा	
15/02/17	अटल सेवा केन्द्र	हंसराज बंजारा	प्रेम मेवाड़ा उपसरपंच	केन्द्र जाखमुण्ड पर वनाधिकार समिति की	
	जाखमुण्ड	सरपंच	सीताराम पंच	की बैठक का आयोजन सरपंच श्री हंसराज	
			हीरालाल पंच	बंजारा की अध्यक्षता में किया गया श्रीमान	
			पाना बाई पंच	विकास अधिकारी पं.स. तालेड़ा के आदेश	
			मूर्ति बाई पंच	संख्या दिनांक की पालना में	
		सरपंच	सत्यनारायण पंच	765 K.V. जी.एस.एस. अंता से [illegible] जी	[illegible]
		ग्राम पंचायत जाखमुण्ड	लक्ष्मण सिंह जी	एस.एस. पावर ग्रिड हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र	
		पं.स. तालेड़ा (बून्दी)		जारी करने हेतु किया गया जिसमें निम्न	सत्यनारायण
				कार्यवाही की गई।	
				प्र.क्र. 1: वनाधिकार अधिनियम 2006	[illegible]
				के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने	पानाबाई
				बाबत :- आज बैठक में कोरम के समक्ष	मूर्ति
				वन अधिकार अधिनियम अन्तर्गत अनापत्ति	
				प्रमाण पत्र जारी करने बाबत [illegible]	[illegible]
				पं.स. तालेड़ा के पत्र क्रमांक दि.	
				को कोरम के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें	

(C.O.P. Sharma)
Executive Engineer
(T & C)
RVPN, KOTA

Scanned by CamScanner

प्रस्ताव

अनुसार 765 के.वी. जी.एस.एस. अन्ता से
400 K.V.G.S.S. पावर ग्रिड कोटा तक जाने वाली
400KV. एकल परिपथ विद्युत ट्रांसमिशन लाईन
निर्माण कार्य हेतु ग्राम पंचायत ग्राम जाखमुण्ड कुल
19.7432 हेक्टेयर भूमि प्रत्यावर्तन हेतु ग्राम
पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है।
इस पर सभा में विचार विमर्श किया गया
पत्र में चाही गई कुल भूमि 19.7432 हे० में खसरा
संख्यावार भूमि प्रत्यावर्तन पे विचार विमर्श किया
गया। तथा विचार विमर्श कर सब सम्मति से
निर्णय कि 765 K.V.G.S.S. पावर ग्रिड कोटा तक
जाने वाली 400KV एकल परिपथ विद्युत
ट्रांसमिशन लाईन निर्माण कार्य हेतु ग्राम जाखमुण्ड
में आरही

खसरा संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेयर
745	1.4168
779	1.8277
778	0.4817
780	1.4026
786	1.6860
785	1.2751
784	0.3400
789	0.7367
815	1.4664
820	0.7367
821	1.3793
822	1.2757
828	1.3318
841	0.1133
842	1.5868
846	0.5100
845	1.0484
842	0.0992
844	1.0343
	19.7432

(O.P. Sharma)
Executive Engineer
(T & C)
RVPN, KOTA

प्रेम बाई
उप सरपंच
ग्राम जाखमुण्ड
जिला बून्दी

G.P. 11 प्रपत्र संख्या

विजय स्टेशनरी मार्ट आर्य समाज रोड, कोटा मोबा 9357...

बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर

ग्राम पंचायत [illegible] पंचायत समिति तालेड़ा जिला बून्दी वर्ष 200

बैठक होने की तारीख	बैठक का स्थान	पंच/सरपंच का नाम	उपस्थित सदस्यों का नाम	बैठक की कार्यवाही का विवरण	बैठक में उपस्थित सदस्यों के ह...
1	2	3	4	5	6
				कुल क्षेत्रफल 19.7432 हैक्टेयर भूमि प्रभावित में कोरम की कोई आपत्ति नहीं है अतः अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने की कोरम द्वारा स्वीकृति दी जाती है।	

(O.P. Sharma)
Executive Engineer
(T & C)
RVPN, KOTA

Scanned by CamScanner

कार्यालय ग्राम पंचायत जाखमूण्ड

पं.स. तालेड़ा जिला बून्दी (राज.)

सरपंच
हंसराज बंजारा
मो. 9660468344
9829798018

प्रेषित: विकास अधिकारी महोदय
पंचायत स० तालेडा जि० बूंदी

ग्राम पंचायत स्तरीय वनाधिकार समिति

क्रमांक : 100 दिनांक 15/02/17

विषय :- वन अधिकार अधिनियम अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत ।

प्रसंग - आपका पत्र क्रमांक प.स.ता./ग्रा. 2016-17/706 15/2/17

उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में पंचायत की विशेष ~~ग्राम पंचायत स्तरीय वनाधिकार समिति~~ अनापत्ति प्रमाण पत्र बैठक दिनांक 15/2/2017 को कोरम के समक्ष अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु पत्र ग्राम पंचायत के प्रस्ताव स० 1 द्वारा निर्णय लिया कि 765 KV GSS अन्ता से 400KV GSS पावर ग्रीड कोटा तक आने वाली 400KV परिपथ विद्युत प्रसारण लाईन निर्माण हेतु, आ रही ग्राम जाखमूण्ड की ख०नं० 745 र 1.4168, ख०नं० 779 र 1.6860 ख०नं० 785 र 1.225 ख०नं० 786 र 1.4026 ख०नं० 780 र 1.8277 ख०नं० 772 र 0.4817 ख०नं० 820 र 0.7367 ख०नं० 821 र 1.32 ख०नं० 784 र 0.3400 ख० 789 र 0.7367 ख० 815 र 1.4664 ख०नं० 842 र 1.5868 ख०नं० 822 र 1.2751 ख०नं० 828 र 1.3318 ख०नं० 841 र 0.1133 ख०नं० 844 र 1.0343 ख०नं० 846 र 0.5100 ख०नं० 845 र 1.0484 ख०नं० 843 र 0.0992 कुल 19.7432 हे० सह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय सर्वसम्मति से 2015 में पारित किया गया। प्रस्ताव भेजा । जो पालना में मेरे हस्ताक्षर द्वारा राजकीय मुद्रा पर जारी किया गया।

हंसराज
सरपंच

ग्राम सेवक पदेन सचिव
ग्राम पंचायत जाखमूण्ड
प. स. तालेड़ा (बून्दी)

सरपंच ग्राम पंचायत जाखमूण्ड
प. स. तालेड़ा (बून्दी)

(O. P. Sharma)
Executive Engineer
(T & C)
RVPN, KOTA

Scanned by CamScanner

कार्यालय ग्राम पंचायत जाखमुण्ड
पंचायत समिति तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)

क्रमांक :— 101

दिनांक :— 15/02/17

अनापत्ति प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इस ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम में आराजी खसरा नम्बर 745,779,778,780,786,785,784,789,815,820,821,822,828,841,842,846,845,843,844 वन भूमि में से 765 के0वी0 जीएसएस अंता से 400 के0वी0 जीएसएस पावरग्रिड कोटा तक जाने वाली 400 के0वी एकल परिपथ विद्युत ट्रान्समिशन लाईन निमार्ण कार्य प्रस्तावित है, जिसमें ग्राम पंचायत जाखमुण्ड को कोई आपत्ती नही है तथा इस वन भूमि पर अनुसुचित जनजाति वन अन्य परम्परागत वन निवासीयों को वन अधिनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी को इस ग्राम पंचायत द्वारा अधिकार पत्र जारी नही किया गया है तथा कोई भी प्रकरण लम्बित नही है।

हंसराज
सरपंच
ग्राम पंचायत जाखमुण्ड

ग्राम सेवक पदेन सचिव
ग्राम पंचायत जाखमुण्ड

(O. P. Sharma)
Executive Engineer
(T & C)
RVPN, KOTA

Scanned by CamScanner

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा

क्रमांक :–

दिनांक :–

–: उपखण्ड स्तरीय बैठक :–

आज दिनांक 15.02.2017 को अधोस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता मे अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध मे उपखण्ड स्तरीय समिति तालेड़ा क्षेत्र की बैठक आयोजित की गई, जिसमे निम्नांकित उपस्थित हुये –

क्र.सं.	नाम सदस्यगण	हस्ताक्षर	मोबाईल नं0
1	उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा	[signature]	8290002977
2	विकास अधिकारी, पं.स. तालेड़ा	[signature]	9530303190
3	रेंजर वन क्षेत्र, डाबी	[signature]	9462885936
4	श्री मोहनलाल गुर्जर	[signature]	7568488888
5	श्री राजमल भील	[signature]	9587292586
6	श्रीमती ममता भील	ममता	9983972178

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, बून्दी के पत्र क्रमांक प.8–5(44)राजस्व/2015/2582 दिनांक 13.02.2017 की पालना मे इस बैठक का अयोजन किया गया। बैठक मे 765 के.वी. जीएसएस अन्ता से 400 के.वी. जीएसएस पावर ग्रिड कोटा तक जाने वाली 400 के.वी. एकल परिपथ विद्युत ट्रान्समिशन लाईन निर्माण कार्य हेतु खसरा नं. 745 रकबा 1.4168, 779/1.8277, 778/0.4817, 780/1.4026, 786/1.6860, 785/1.2751, 784/0.3400, 789/0.7367, 815/1.4664, 820/0.7367, 821/1.3743, 822/1.2751, 828/1.3318, 841/0.1133, 842/1.5868, 846/0.5100, 845/1.0484, 843/0.0992, 844/1.0343, हैक्टेयर कुल रकबा 19.7432 ग्राम जाखमुण्ड प्रत्यावर्तन के संबंध मे अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत कोई दावा इस उपखण्ड स्तरीय समिति तालेड़ा जिला बून्दी के समक्ष दर्ज एवं विचाराधीन नहीं है। अतः उपखण्ड स्तरीय समिति 765 के.वी. जीएसएस अन्ता से 400 के.वी. जीएसएस पावर ग्रिड कोटा तक जाने वाली 400 के.वी. एकल परिपथ विद्युत ट्रान्समिशन लाईन निर्माण कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिय सहमत है एवं अनुशंसा करती है।

15/2/17

उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा
एवं अध्यक्ष वनाधिकार
उपखण्ड स्तरीय समिति
तालेड़ा

(O.P. Sharma)
Executive Engineer
(T & C)
RVPN, KOTA

Scanned by CamScanner

कार्यालय पंचायत समिति तालेडा जिला बून्दी (राज०)

क्रमांक :– पसता/पं0शा0/2016–17/ 822 दिनांक –22/2/201

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय,
जिला बून्दी

CEO, 22/2/17

विषय :– वन अधिकारी अधिनियम 2006 (अनुसूचित जनजाति और अन्य पंरपरागत वनवासी) की पूर्ति के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र, 765 के0वी0 जीएसएस अंता से 400 के0वी0जीएसएस पावरग्रिड हेतु उपलब्ध कराने के संबंध मे।

प्रसंग :– आपके कार्यालय के पत्र कमांक 2582 दिनांक 13.02.2017 के संदर्भ मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ मे निवेदन है कि ग्राम पंचायत स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक 15.02.2017 की कार्यवाही विवरण एवं उपखण्ड स्तरीय बैठक कार्यवाही का विवरण एवं ग्राम पंचायत जाखमुण्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर श्रीमान् की सेवा मे आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

विकास अधिकारी
पंचायत समिति तालेडा

(O.P. Sharma)
Executive Engineer
(T & C)
RVPN, KOTA

Scanned by CamScanner

कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी

क्रमांकः–वन अधि./2016–17/1545 दिनांक : 12.04.2017

बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 24.03.2017 को अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के संशोधित नियम 2012 की क्रियान्विति हेतु जिला स्तरीय समिति बून्दी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अद्योलिखित सदस्यगण उपस्थित हुये :–

1. जिला कलक्टर, बून्दी
2. उपवन संरक्षक वन विभाग, बून्दी
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, बून्दी
4. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बून्दी
5. श्री मुरली प्रसाद मीणा, जिला परिषद सदस्य वार्ड संख्या 12
6. श्री महेश कुमार, जिला परिषद सदस्य वार्ड संख्या 14

बैठक में एजेण्डा के अनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा एजेण्डावार निम्न प्रकार कार्यवाही प्रारम्भ की गई :–

(1) 765 के0वी. जी.एस.एस. अन्ता से 400 के.वी. जी.एस.एस. पावर ग्रीड कोटा को जाने वाली 400 के.वी. एकल परिपथ विद्युत ट्रान्समिशन निर्माण कार्य हेतु 19.7432 हैक्टर भूमि का प्रत्यावर्तन। (अधीक्षण अभियंता, रा.रा.वि.प्र.नि.लि. कोटा)

रा.रा.वि.प्र.नि.लि. कोटा को 765 के.वी. जीएसएस अन्ता से 400 केवी जी.एस.एस. पावरग्रिड कोटा तक जाने वाली 400 केवी एकल परिपथ विद्युत ट्रान्स मिशन लाईन निर्माण कार्य हेतु खसरा न0 745 रकबा 1.4168, 779/1.8277, 778/0.4817, 780/1.4026, 786/1.6860, 785/1.2751, 784/0.3400, 789/0.7367, 815/1.4664, 820/0.7367, 821/1.3743, 822/1.2751, 828/1.3318, 841/0.1133, 842/1.5868, 846/0.5100, 845/1.0484, 843/0.0992 एवं 844/1.0343 हैक्टर भूमि कुल रकबा 19.7432 वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत अधिनियम के नियम संख्या 8 (घ) के अन्तर्गत विचार किया गया।

ग्राम जाखमुण्ड की उक्त वन भूमि हेतु कोई दावा जिला स्तरीय समिति, बून्दी के समक्ष विचाराधीन नही है। इस क्रम मे दिनांक 15.02.2017 को उपखण्ड अधिकारी तालेडा की अध्यक्षता मे भी वन अधिकार अधिनियम के तहत बैठक आयोजित की गई, जिसका कार्यवाही विवरण भी इस बैठक मे प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड स्तरीय समिति, तालेडा द्वारा भी उक्त ट्रान्समिशन लाईन निर्माण कार्य हेतु 19.7432 वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु सहमति एवं अनुशंषा की गई है। जिला स्तरीय समिति विस्तृत विचार–विमर्श कर ग्राम जाखमुण्ड (पं.स. तालेडा) की 19.7432 हैक्टर वन भूमि को 765 के.वी. जीएसएस अन्ता से 400 केवी जी.एस.एस. पावर ग्रिड कोटा तक जाने वाली 400 केवी एकल परिपथ विद्युत ट्रान्समिशन लाईन निर्माण कार्य हेतु वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सहमत है एवं अनुशंषा करती है।

(2) सम्पर्क सड़क पोसवालो की झौपड़िया किमी 0/0 से 2/500 प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 0.972 हैक्टर भूमि का प्रत्यावर्तन। (अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. नैनवा)

अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. नैनवा को सम्पर्क सडक पोसवालो की झौपड़िया किमी 0/0 से 2/500 प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्माण हेतु खसरा न0 1718 रकबा 0.063, 1722/0.450 (ग्राम पंचायत हिण्डोली) एवं खसरा नं0 112/0.207, 113/0.207 एवं 135/0.045 (ग्राम पंचायत डोकड़ा) हैक्टर भूमि कुल रकबा 0.972 वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत अधिनियम के नियम संख्या 8 (घ) के अन्तर्गत विचार किया गया।

(O.P. Sharma)
Executive Engineer
(T & C)
RVPN, KOTA

Scanned by CamScanner

ग्राम हिण्डोली एवं सुखपुरा की उक्त वन भूमि हेतु कोई दावा जिला स्तरीय समिति, बून्दी के समक्ष विचाराधीन नही है। इस क्रम मे दिनांक 23.01.2017 को उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली की अध्यक्षता मे भी वन अधिकार अधिनियम के तहत बैठक आयोजित की गई, जिसका कार्यवाही विवरण भी इस बैठक मे प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड स्तरीय समिति, हिण्डोली द्वारा भी उक्त सम्पर्क सडक निर्माण कार्य हेतु 0.972 वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु सहमति एवं अनुशंषा की गई है। जिला स्तरीय समिति विस्तृत विचार–विमर्श कर ग्राम हिण्डोली एवं सुखपुरा (पंस. हिण्डोली) की 0.972 हैक्टर वन भूमि को सम्पर्क सडक पोसवालो की झौपडिया किमी 0/0 से 2/500 के निर्माण हेतु 0.972 हैक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सहमत है एवं अनुशंषा करती है।

(3) हिण्डोली से थाना सडक किमी 0/0 से 14/600 तक प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत 0.420 हैक्टर भूमि का प्रत्यावर्तन। (अधिशाषी अभियंता, सानिवि, नैनवां)

अधिशाषी अभियंता सानिवि, नैनवां को सम्पर्क सडक हिण्डोली से थाना सडक किमी 0/0 से 14/600 तक प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना के निर्माण हेतु ग्राम सिंघांडी के खसरा न0 38 रकबा 0.050, 153/0.270, 152/0.030, 149/0.006, 148/0.024 एवं 224/0.040 (ग्राम पंचायत सहसपुरिया) हैक्टर भूमि कुल रकबा 0.420 वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत अधिनियम के नियम संख्या 8 (घ) के अन्तर्गत विचार किया गया।

ग्राम सिंघाडी (सहसपुरिया) की उक्त वन भूमि हेतु कोई दावा जिला स्तरीय समिति, बून्दी के समक्ष विचाराधीन नही है। इस क्रम मे दिनांक 23.01.2017 को उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली की अध्यक्षता मे भी वन अधिकार अधिनियम के तहत बैठक आयोजित की गई, जिसका कार्यवाही विवरण भी इस बैठक मे प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड स्तरीय समिति, हिण्डोली द्वारा भी उक्त सम्पर्क सडक निर्माण कार्य हेतु 0.420 वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु सहमति एवं अनुशंषा की गई है। जिला स्तरीय समिति विस्तृत विचार–विमर्श कर ग्राम सिंघाडी की 0.420 हैक्टर वन भूमि को सम्पर्क सडक हिण्डोली से थाना सडक किमी 0/0 से 14/600 के निर्माण हेतु 0.420 हैक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सहमत है एवं अनुशंषा करती है।

(4) सम्पर्क सडक टरडक्या किमी 0/0 से 4/420 तक प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत 0.992 हैक्टर भूमि का प्रत्यावर्तन। (अधिशाषी अभियंता, सानिवि, नैनवां)

अधिशाषी अभियंता सानिवि, नैनवां को सम्पर्क सडक टरडक्या किमी 0/0 से 4/420 तक प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना के निर्माण हेतु ग्राम हिण्डोली के खसरा न0 1718 रकबा 0.296, 1722/0.160, 1721/0.344 एवं ग्राम सुखपुरा के खसरा नं0 112/0.040, 111/0.136 (ग्राम पंचायत टोकडा) एवं ग्राम भीमगंज के खसरा नं0 853 रकबा 0.016 (ग्राम पंचायत पेच की बावडी) हैक्टर भूमि कुल रकबा 0.992 वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत अधिनियम के नियम संख्या 8 (घ) के अन्तर्गत विचार किया गया।

ग्राम हिण्डोली, सुखपुरा, भीमगंज की उक्त वन भूमि हेतु कोई दावा जिला स्तरीय समिति, बून्दी के समक्ष विचाराधीन नही है। इस क्रम मे दिनांक 23.01.2017 को उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली की अध्यक्षता मे भी वन अधिकार अधिनियम के तहत बैठक आयोजित की गई, जिसका कार्यवाही विवरण भी इस बैठक मे प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड स्तरीय समिति, हिण्डोली द्वारा भी उक्त सम्पर्क सडक निर्माण कार्य हेतु 0.992 वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु सहमति एवं अनुशंषा की गई है। जिला स्तरीय समिति विस्तृत विचार–विमर्श कर ग्राम हिण्डोली, सुखपुरा, भीमगंज की 0.992 हैक्टर वन भूमि को सम्पर्क सडक टरडक्या किमी 0/0 से 4/420 के निर्माण हेतु 0.992 हैक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सहमत है एवं अनुशंषा करती है।

(O.P. Sharma)
Executive Engineer
(T & C)
RVPN, KOTA

Scanned by CamScanner

(5) वन अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पत्र :—

निम्नांकित प्रार्थियो द्वारा उपखण्ड स्तरीय समिति के निर्णय के विरूद्ध वनाधिकार देने हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्र समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये:—

1. श्री राम करण आ0 श्री धन्ना लाल मीणा निवासी कुण्डालिया ग्राम पंचायत, नयागांव (पंस. बून्दी)
2. श्री मदन, दानाराम आ0 भूरा बलाई निवासी किशनगंज ग्राम पंचायत, उमर (पंस. हिण्डोली)

विचार–विमर्श उपरान्त प्रार्थियो की दावा संबंधी पत्रावलिया मंगवाने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया ताकि विस्तृत अध्ययन उपरान्त प्राप्त आवेदनो की निस्तारण किया जा सके।

(6) दिनांक 17.05.2016 को आयोजित जिला स्तरीय समिति की बैठक मे ग्राम बिशनपुरा ग्राम पंचायत गुढानाथावतान की निम्न 6 दावा पत्रावलिया प्रेषित की गई थी। बैठक का कार्यवाही विवरण पत्र संख्या 1141 दिनांक 26.07.2016 से जारी किया गया है:—

1. श्री सुलतान आ0 बन्ना राम मीणा, कन्या बाई पत्नि सुलतान निवासी बिशनपुरा।
2. श्री राम कुमार आ0 राम किशन मीणा, रामघणी पत्नि राम कुमार मीणा निवासी बिशनपुरा।
3. श्री प्रेम आ0 भैरू लाल मीणा, प्यारी बाई पत्नि प्रेम निवासी बिशनपुरा।
4. श्री बन्ना राम आ0 भैरू लाल मीणा, प्रेम बाई पत्नि बन्ना राम मीणा निवासी बिशनपुरा।
5. श्री रती राम, लेखराज, बलवीर, चंदा सोहन लाल मीणा निवासी बिशनपुरा।
6. श्री सत्यनारायण आ0 भैरूलाल मीणा निवासी बिशनपुरा।

उप वन संरक्षक, वन विभाग, बून्दी द्वारा दावो की छाया पत्रावलियो पर आपत्ति दर्ज कराये जाने पर मूल पत्रावलियो के संबंध मे ब्लॉक स्तरीय समिति बून्दी को निर्देशित किया गया था। पंचायत समिति बून्दी द्वारा पत्र संख्या 3270 दिनांक 23.03.2017 से नवीन पत्रावलिया तैयार कर प्रेषित की गई है। चर्चा अनुसार प्राप्त पत्रावलिया आवश्यक जांच हेतु उपवन संरक्षक वन विभाग, बून्दी को भिजवाने का निर्णय लिया गया ताकि पात्रता की जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला कलक्टर
एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी (राज0)

कमांक:–वन अधि. / 2016–17 / 1545 दिनांक : 12.04.2017

प्रतिलिपि :—

1. उप वन संरक्षक, वन विभाग, बून्दी। (संलग्न 6 दावा पत्रावलिया)
2. श्री मुरली प्रसाद मीणा, जिला परिषद सदस्य, वार्ड संख्या 12 ग्राम करवाला तह0 के0 पाटन।
3. श्री महेश कुमार, जिला परिषद सदस्य, वार्ड संख्या 14 ग्राम झाली जी का बराणा, तह0 के0पाटन।
4. श्रीमती प्रसन्न मीणा जिला परिषद सदस्य वार्ड संख्या 19 ग्राम डेलपुरा, पंचायत, गुढादेवजी, तह0 नैनवां।
5. उप महा प्रबंधक पावर ग्रीड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, उत्तरी क्षेत्र प्रथम, 402 / 220 केवी उप केन्द्र, नान्ता, कोटा।
6. अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, नैनवां।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, हिण्डोली / बून्दी को दावा पत्रावलिया भिजवाने हेतु।
8. अतिरिक्त निजी सचिव, जिला कलक्टर, बून्दी।
9. निजी सहायक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी / अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बून्दी।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला कलक्टर
एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी (राज0)

(O.P. Sharma)
Executive Engineer
(T & C)
RVPN, KOTA

Scanned by CamScanner

अनुसूचित जनजाति एवं पराम्परागत वन निवासी अधिनियम की जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 24.03.2017

उपस्थिति विवरण

क.सं.	नाम सदस्य / पदनाम	हस्ताक्षर
1	जिला कलक्टर, बून्दी	
2	उपवन संरक्षक वन विभाग, बून्दी (94140–54090)	
3	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, बून्दी (93525–59889)	
4	अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, बून्दी (94147–64979)	
5	श्री मुरली प्रसाद मीणा, जिला परिषद सदस्य वार्ड संख्या 12 (94140–43777)	
6	श्री महेश कुमार, जिला परिषद सदस्य वार्ड संख्या 14 (95717–03655)	
7	श्रीमती प्रसन्न मीणा जिला परिषद सदस्य वार्ड संख्या 19 (97723–89727)	
(8)	एस.डी. दुबे XEN TA to S.E (T&C) Kota	
9	आर.के. लोढ़ा अधि० अभि० [illegible] विभाग (वन रेंज)	

(O.P. Sharma)
Executive Engineer
(T & C)
RVPN, KOTA

Scanned by CamScanner